



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032022-234019
CG-DL-E-09032022-234019

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1001]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 2022/फाल्गुन 18, 1943

No. 1001]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 2022/PHALGUNA 18, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2022

का.आ. 1033(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1186 (अ) तारीख 12.03.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में NH 965 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 59.000 (सुब डिविशनल अफसर, पंढरपुर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "20.03.2021" को "लोकमत (मराठी)" और "टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेज़ी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में NH 965 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 59.000 (सुब डिविशनल अफसर, पंढरपुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र जिले का नाम: सोलापूर					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पंढरपुर				
	गांव का नाम: देगाव				
1	226	निजी	ड्राई	0.1671	सचिन बजरंग घाडगे, सत्यवान दशरथ घाडगे, सुशांत धनाजी घाडगे, गुरदिन कांचन धनाजी घाडगे, दशरथ रामचंद्र घाडगे, सचिन बजरंग घाडगे, सत्यवान दशरथ घाडगे, रंगनाथ रामचंद्र घाडगे, गंगानराम रामचंद्र घाडगे, सर्जेराव रामचंद्र घाडगे, बजरंग रामचंद्र घाडगे, भीमराव रामचंद्र घाडगे, अर्जुन रामचंद्र घाडगे, बाळासो रामचंद्र घाडगे, नवनाथ रामचंद्र घाडगे, सुमन माणिक जाधव, हुसाबाई अनिल भाकरे, कामिनी जानोबा सावंत, शामल सर्जेराव घाडगे, दादासाहेब नारायण सुरवासे, रवींद्र नारायण सुरवासे, श्रीकांत बाळसाहेब घाडगे, प्रज्ञा बाळसाहेब घाडगे, शोभा भीमा घाडगे, शरद अर्जुन घाडगे, धर्मेन्द्र धोंडीबा घाडगे, शांतीनाथ पांडुरंग रणदिवे कडून सरपंच ग्रामपंचायत

					देवगाव, तानाजी इंद्रजित घाडगे, मोहन धोंडीबा घाडगे, शहाजी शिवाजी घाडगे, शंकर धोंडीबा घाडगे, सागर सोपान घाडगे, सुरेश धोंडीबा घाडगे, संजय देवानंद घाडगे, नवनाथ रामचंद्र घाडगे, देगाव वीर.का.सो., देगाव, दि. लक्ष्मी कॉ.ऑप.बँक ली., बडोद्याची सोलापूर बँक, शाखा, पंढरपूर (226)
			कुल	0.1671	

[फा. सं. NHAI/PIU/PUNE/PALAKHI MARG/LA/2017/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th March, 2022

S.O. 1033(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 1186 (E) Dated 12.03.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH965 on the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 59.000 (Sub Divisional Officer, Pandharpur) in the district of SOLAPUR in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Lokmat (Marathi)” and “Times of India (English)” both dated 20.03.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 965 in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 59.000 (Sub-Divisional Officer, Pandharpur) in the district of SOLAPUR in the State of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: SOLAPUR		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Pandharpur				
	Village: Degaon				
1	226	Private	Dry	0.1671	Sachin Bajrang Ghadage, Satyawar Dashrath Ghadage, Sushant Dhanaji Ghadage, Gurdin Kanchan Dhanaji Ghadage, Dashrath Ramchandra Ghadage, Sachin Bajrang Ghadage, Satyawar Dashrath Ghadage, Rangnath Ramchandra Ghadage, Ganganram Ramchandra Ghadage, Sarjerao Ramchandra Ghadage, Bajrang Ramchandra Ghadage, Bhimrao Ramchandra Ghadage, Arjun Ramchandra Ghadage, Balaso Ramchandra Ghadage, Navnath Ramchandra Ghadage, Suman Manik Jadhav, Husabai Anil Bhakre, Kamini Dnyanoba Sawant, Shamal Sarjerao Ghadage, Dadasaheb Narayan Survase, Ravindra Naryan Survase, Shrikant Balsaheb Ghadage, Prdnya Balasaheb Ghadage, Shobha Bhima Ghadage, Sharad Arjun Ghadage, Dharmendra Dhondiba Ghadage, Sarpanch Grampanchayat Degaon From Shantinath Pandurang Randive, Tanaji Indrajit Ghadage, Mohan Dhondiba Ghadage, Shahaji Shivaji Ghadage, Shankar Dhondiba Ghadage, Sagar Sopan Ghadage, Suresh Dhondiba Ghadage, Sanjay Devanand Ghadage, Navnath Ramchandra Ghadage, Degaon Vi.Ka.So., Degaon, Di. Laxmi Co.Op.Bank Li., Solapur bank of Baroda, Branch, pandharpur 226
			TOTAL	0.1671	

[F. No. NHAI/PIU/PUNE/PALAKHI MARG/LA/2017/3D]

RAJESH GUPTA, Director